

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक  
उत्तर प्रदेश।

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002  
संख्या:अड्डारह-233-(एसआई लिपिक)2024

दिनांक:लखनऊ:2-8-,2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: पीआरपीवी-चार-10(38)-2024 दिनांक 26.07.2024 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 21 कार्मिकों को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 21 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में 31.07.2024 तक पुलिस निरीक्षक(लिपिक) की 15 रिक्तियाँ विद्यमान है, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 06 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह अगस्त-2024 से जून 2025 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस निरीक्षक (लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 15 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
1	3	902160055	संजीव कुमार	श्री प्रहलाद लाल श्रीवास्तव	02-04-1969	गाजीपुर	2024
2	6	912650300	सुधीर कुमार	स्व० श्री वीरेन्द्र कुमार	20-06-1972	06पीएसी मेरठ	2024
3	9	922510612	श्रीमती पूनम जैन	स्व० श्री सुदेश कुमार	09-01-1968	पु.अ.(क्षे.) कार्यालय आगरा	2024
4	10	922240182	मिथलेश कुमारी	स्व० राजपाल सिंह	15-10-1972	मैनपुरी	2024
5	14	920820098	अजय कुमार सिंह सेंगर	स्व.राजेन्द्र सिंह सेंगर	25-08-1972	पु.अ.(क्षे.) कार्यालय मेरठ	2024
6	15	920820102	नरेन्द्र पाल सिंह	स्व.शिशुपाल सिंह	15-08-1969	मण्डलाधिकारी कार्यालय मेरठ	2024
7	16	922520248	सुरेश कुमार दुबे	स्व० जुगल किशोर	20-01-1973	आजमगढ़	2024
8	17	922480111	धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय	स्व० कृष्ण पाल पाण्डेय	09-04-1970	एस०टी०एफ० उ०प्र० लखनऊ	2024
9	18	920990027	गुंजन अग्रवाल	स्व० घनश्याम दास अग्रवाल	20-05-1970	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
10	24	920820157	रवि कान्त	श्री कन्हैया लाल	28-08-1966	अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ	2024
11	26	921022147	मनोज कुमार दुबे	स्व० दफेदार दुबे	15-12-1973	परिक्षेत्र मिरजापुर	2024
12	27	922090136	सतीश चन्द्र राय	स्व० कृपाशंकर राय	10-01-1973	सोनभद्र	2024
13	32	921110026	श्रीमती विमला दिवाकर	स्व० श्री रामदास दिवाकर	05-08-1970	सुलतानपुर	2024
14	33	930020013	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	स्व० श्री नन्द कुमार श्रीवास्तव	26-04-1965	प्रतापगढ़	2024
15	34	932390011	विनय कुमार श्रीवास्तव	श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव	05-07-1973	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024

५

2- पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कर्मियों के परिचीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89- का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

4/2/08

( प्रभाकर चौधरी )

पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
- 3.अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना/एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4.पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेंट आगरा।
- 5.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
- 6.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 7.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/मैनपुरी/आजमगढ़/सोनभद्र/सुलतानपुर/प्रतापगढ़/मेरठ।
- 8.सेनानायक 06वीं वाहिनी पीएसी मेरठ।



## स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ  
नियुक्ति स्थान-  
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।